न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 89/2016 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. श्री जोगी पुत्र स्व. मतीया भील निवासी जोड़ा पंचायत समिति उंकाला तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. श्री मगन पुत्र मोती भील निवासी जोड़ा पंचायत समिति उंकाला तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
3. श्री गेन्दाल पिता मखजी भील निवासी जोड़ा पंचायत समिति उंकाला तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
4. श्री नारजी पिता मखजी भील निवासी जोड़ा पंचायत समिति उंकाला तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
5. श्री रायचनद्र पिता मखजी भील निवासी जोड़ा पंचायत समिति उंकाला तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
6. श्री नाहरसिंह पिता मखजी भील निवासी जोड़ा पंचायत समिति उंकाला तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
7. श्री भीमचन्द्र पिता मखजी भील निवासी जोड़ा पंचायत समिति उंकाला तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
8. श्रीमती बदु बेवा मखजी भील निवासी जोड़ा पंचायत समिति उंकाला तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
9. श्री छगन पुत्र मोती भील निवासी जोड़ा पंचायत समिति उंकाला तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
10. श्री जैमाल पुत्र मोती भील निवासी जोड़ा पंचायत समिति उंकाला तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
11. श्री वारजी पुत्र मोती भील निवासी जोड़ा पंचायत समिति उंकाला तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
12. श्रीमती कबु पत्नी मोती भील निवासी जोड़ा पंचायत समिति उंकाला तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री पीथा पुत्र गलिया भील निवासी जोड़ा पंचायत समिति उंकाला तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)

2. श्री वागा पुत्र धीरा निवासी जोड़ा पंचायत समिति उंकाला तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
3. लालू पुत्र धीरा भील निवासी जोड़ा पंचायत समिति उंकाला तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
4. लखजी पुत्र जोखा भील निवासी जोड़ा पंचायत समिति उंकाला तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
5. जहांगीर पुत्र जोखा भील निवासी जोड़ा पंचायत समिति उंकाला तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
6. श्री ओंकार पिता वाला भील निवासी जोड़ा पंचायत समिति उंकाला तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
7. श्रीमती वेला बेवा वाला भील निवासी जोड़ा पंचायत समिति उंकाला तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
8. श्री भूरजी पुत्र वागा भील निवासी जोड़ा पंचायत समिति उंकाला तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
9. श्री गोरधन पुत्र जोखा भील निवासी जोड़ा पंचायत समिति उंकाला तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
10. वारजी पुत्र लालु भील निवासी जोड़ा पंचायत समिति उंकाला तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
11. कीड़िया पुत्र लालू भील निवासी निवासी जोड़ा पंचायत समिति उंकाला तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
12. हकजी पुत्र जोखा भील निवासी जोड़ा पंचायत समिति उंकाला तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
13. भूमिधारी तहसीलदार कुशलगढ़
14. जिला कलक्टर बांसवाड़ा

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी कुशलगढ़ दिनांक 16–06–2016 प्रकरण
संख्या 10/2012 वाद

———/———

उपस्थित :–1– श्री अजीत सिंह चौहान अभिभाषक अपीलान्ट्स

2– श्री अब्दुल वहाब अभिभाषक रेस्पो. सं. 1 से 6, 8, 10 से 12

————————————

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 03–11–2017</u>**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट वादी द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध धारा–88, 188, 92–ए, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम जोड़ा में वादपत्र की कलम संख्या–1 वर्णित आराजीयात कुल किता–6 रकबा 5.49 एकड़ भूमि वादीगण की पैतृक होकर उनके दादा कलजी के खाता संख्या–1 में स्थित थी। उनके मरने के बाद वादीगण के पिता मतीया व मोती ही इस भूमि के वारिसान व काबिज हुए। पक्षकारान का सजरा वादपत्र की कलम संख्या–1 में वर्णित अनुसार वादीगण ही वारिस है। प्रतिवादीगण संख्या–1 से 12 ने उक्त विवादित आराजीयात में बेज़ा दखलन्दाजी करना प्रारम्भ कर दिया, तो जांच करने पर पता पड़ा कि प्रतिवादीगण के पिता पीथा ने धोखाधड़ी पूर्वक राजस्व कर्मियों से मिलकर वादी के दादा कलजी को फोत बताकर नामान्तरकण संख्या–1 दिनांक 17–12–1963 को खाता अपने नाम दर्ज करवा लिया तथा इस विधि विरूद्ध प्रतिवादी के आधार पर अब बेज़ा दखलन्दाजी करते है। वादी द्वारा यह वाद दिनांक 14–2–2012 को अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया। दिनांक 14–3–2012 को प्रतिवादी संख्या–1 से 11 की और से अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या–12 स्वयं उपस्थित होना अंकित है। दिनांक 14–3–2012 से लेकर दिनांक 30–5–2015 तक कल 39 पेशियों पर प्रतिवादीगण ने जवाब पेश नहीं किया। दिनांक 30–5–2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प में पत्रावली पेश हुई। इसके बाद पुनः दिनांक 6–7–2015 से लेकर दिनांक 24–2–2016 तक पत्रावली जवाब दावे में लम्बित रही। दिनांक 24–2–2016 को दिनांक 3–5–2016 की पेशी तय की गई, परन्तु पत्रावली दिनांक 3–5–2016 के स्थान पर दिनांक 16–6–2016 को पेश की तथा अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16–6–2016 को निम्नानुसार निर्णय पारित कर दिया :–

16–6–2016 ***पत्रावली आज कैम्प कोर्ट न्यायालय आपके द्वार 2016 कैम्प उंकाला में प्रस्तुत हुई, सजरे के अनुसार कलजी***

और गलिया दो सगे भाई थे। जिनके वारिसान क्रमशः मतिया व मोती तथा गलिया थे। जिनके हिस्से 1/2 भूमि होनी चाहिये। पूर्व में गलिया के हक में 5 एकड़ भूमि का नामान्तरण खुला हुआ है तथा मौके पर कब्जा भी इतना ही है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। वाद अस्वीकार किया जाता है।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 16–6–2016 से रूष्ट होकर अपीलान्ट वादिया द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16–8–2016 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नाटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–7 व 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13, 14 की और से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से गुणावगुण पर निर्णय किये जाने की प्रार्थना की, शेष रेस्पोस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 व 8, 10 से 12 की और से वकील श्री अब्दुल वहाब ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की। वहीं रेस्पोन्डेन्ट अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही होना बताकर अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि रेस्पोन्डेन्ट प्रतिवादी को 4¼ (सवा चार) साल तक जवाब देने के अवसर विधि विरूद्ध दिये गये व अचानक से नियत तिथि से पृथक तिथि को जाकर वादीगण को बिना सुने, बिना सजरा लिए, प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध वादीगण की अनुपस्थिति में सिर्फ प्रतिवादीगणों को सुनकर मनमकसूद निर्णय पारित किया गया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपील वर्णित उजरात अनुसार प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध अपीलान्ट वादीगण को सुने बिना निर्णय पारित किया है, जिसके लिए कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है।

अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमकसूद होकर तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होकर प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–6–2016 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनः निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में 10–1–2018 उपस्थित होवें।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03–11–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....
.**उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

श्री मांगूलाल पिता श्री नानजी भील निवासी बोरखाबर तहसील व जिला बांसवाड़ा अन्य–1	बनाम	**श्री देवा पिता श्री रामा भील निवासी नांदरामाल तहसील बांसवाड़ा अन्य–5 व सरकार**

अपील नं0 **18/2015** बनाराजगी डिगरी अदालत ..... **उपखण्ड अधिकारी**. ..... **घाटोल** ..... मुकाम मुक्र्खे.....**13**..... माह .....**03**..... **2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ..... **27**..... माह .....**06**..... सन् **2017** रूबरू... पक्षकारान व हाजरी बवक्त बहस ....**श्री आर. के. जैन** ..... मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री राजकीय अधिवक्ता** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13–03–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**25**..... माह ...**07**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ..... 2. स्टाम्प वकालत नामा..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।